|| न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ||

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रेणू मीना, आर०ए०एस०

राजस्व वाद नं०	तारीख रज्जू	तारीख संशोधित निर्णय
1/33	08.03.2022	18.04.2022

01– बलवन्तसिंह पुत्र श्री गुरूदत्त सिंह जाति रायसिक्ख (मृतक) जर्ये वारिसान

01/1 इन्द्रसिंह पुत्र स्व० श्री बलवन्तसिंह जाति रायसिक्ख उम्र करीब 55 साल

01/2 राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व० श्री बलवन्तसिंह जाति रायसिक्ख उम्र करीब 52 साल

01/3 मक्खनसिंह पुत्र स्व० श्री बलवन्तसिंह जाति रायसिक्ख उम्र करीब 48 साल

01/4 श्रीमती इन्द्रोकौर पुत्री स्व० श्री बलवन्तसिंह पत्नी श्री जंगीरसिंह जाति रायसिक्ख उम्र करीब 53 साल

01/5 श्रीमती मिन्दोकौर पुत्री स्व० श्री बलवन्तसिंह पत्नी सुरजन सिंह जाति रायसिक्ख उम्र करीब 50 साल

01/6 श्रीमती राणोकौर पुत्री स्व० श्री बलवन्तसिंह पत्नी श्री कक्कासिंह जाति रायसिक्ख उम्र करीब 45 साल

01/7 श्रीमती प्रकाशकौर पुत्री स्व० श्री बलवन्तसिंह पत्नी श्री जीतसिंह जाति रायसिक्ख उम्र करीब 40 साल निवासीयान ग्राम साहोडी तहसील व जिला अलवर

02– लक्खासिंह पुत्र श्री गुरूदत्त सिंह जाति रायसिक्ख उम्र करीब 57 साल

03– गुरमेजसिंह पुत्र श्री गुरूदत्त सिंह जाति रायसिक्ख (मृतक) जर्ये वारिसान

03/1 श्रीमती हरमेन्द्रकौर पत्नी स्व० श्री गुरमेज सिंह उम्र करीब 47 साल

03/2 राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व० श्री गुरमेज सिंह उम्र करीब 28 साल

03/3 हंसराजसिंह पुत्र स्व० श्री गुरमेज सिंह उम्र करीब 20 साल जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम साहोडी का बास तहसील व जिला अलवर

03/4 श्रीमती बन्तोकौर पुत्री श्री गुरमेज सिंह पत्नी श्री गुरमुख सिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम मिठायाबास तहसील तिजारा जिला अलवर

03/5 श्रीमती संदीपकौर पुत्री श्री गुरमेज सिंह पत्नी श्री हरनाम सिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम अकलीमपुर तहसील रामगढ जिला अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर

03/6 श्रीमती भजनोकौर पुत्री श्री गुरमेज सिंह पत्नी श्री मंगत सिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम रसगण तहसील मुण्डावर जिला अलवर

—वादीगण

बनाम

01— नत्थासिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति रायसिक्ख

02— जंगीसिंह पुत्र श्री सुरजन सिंह जाति रायसिक्ख

03— हुक्मी पत्नि स्व० सुरजन सिंह जाति रायसिक्ख (मृतक)

निवासीयान ग्राम साहोडी हाल निवासी सोरखांकलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर बहैसियत वारिस काबिज जायदाद मिनजानिब सौदागर सिंह पुत्र श्री गंगासिंह जाति रायसिक्ख निवास ग्राम साहोडी तहसील व जिला अलवर

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

—: संशोधित निर्णय :—

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 778 रकबा 3 बीघा व 777/944 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 1894 रकबा 0.17 है०, 1896 रकबा 0.22 है०, 1898 रकबा 0.35 है०, 1897 रकबा 0.01 है०, 1895 रकबा 0.24 है० व 1899 रकबा 0.43 है० वाके ग्राम साहोडी तहसील व जिला अलवर में स्थित है। उपरोक्त आराजी में से गत खसरा नम्बर 778 रकबा 3 बीघा सालिम व 777/944 में से 18 बिस्वा आराजी प्रतिवादीगण के दादा श्री सौदागर सिंह पुत्र गंगासिंह की गैरखातेदारी की आराजी थी जिस पर उनका कब्जा था। श्री सौदागर सिंह ने आराजी मुतनाजा को जरिये दस्तावेजत बैयनामा दिनांक 25.06.1976 तस्दीकी दिनांक 25.06.1976 को उप पंजियक महोदय अलवर के यहां दिनांक 28.06.1976 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 265 के पृष्ठ संख्या 309—310 के क्रम संख्या 712 पर पंजीबद्ध किया गया है। प्रीतमकौर पुत्री श्री जिन्दासिंह उर्फ चेतरसिंह पत्नी श्री इन्दरसिंह निवासी साहोडी को विक्रय कर दिया। जिसका बैयनामा भी उक्त श्री प्रीतमकौर के नाम पर वो उसके हक में तहरीर व तकमील कराकर पंजीयन करा दिया समस्त प्रतिफल प्राप्त करके कब्जा मौके पर दे दिया समर्थन में नकल बैयनामा पेश है। खरीद की दिनांक से ही श्रीमती प्रीतमकौर काबिज रहकर गैरखातेदार दर्ज हो गई। चूंकि आराजी मुतनाजा उसकी गैरखातेदारी की आराजी थी जिस कारण उसका इंतकाल उक्त बैयनामा के आधार पर क्रेता के नाम पर वा उसके

सहायक कलक्टर
अलवर

हक में दर्ज व मंजूर नही किया गया। कागजात माल में सौदागर सिंह का ही नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज रहा। श्रीमती प्रीतमकौर ने अपनी खरीदशुदा उपरोक्त आराजी को वादीगण के नाम पर व वादीगण के हक में जरिये दस्तावेज विक्रय पत्र तहरीरी दिनांक 10.07.1978 तस्दीकी दिनांक 10.07.1978 उप पंजीयक महोदय अलवर के यहां दिनांक 07.08.1978 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 288 के पृष्ठ संख्या 337–338 के क्रम संख्या 1085 पर पंजीबद्ध किया गया है। समस्त विक्रयशुदा राशि प्राप्त करके कब्जा मौके पर वादीगण को दे दिया गया। खरीद की दिनांक से ही वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में भी आराजी मुतनाजा पर वादीगण का कब्जा है। चूंकि मूल अलाटी सौदागरसिंह व विक्रेता श्रीमती प्रीतमकौर आराजी मुतनाजा के गैरखातेदार थे जिस कारण आराजी का इंतकाल वादीगण के नाम पर व वादीगण के हक में दर्ज व तस्दीक नही किया जा सका। खरीद की दिनांक से ही वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। श्रीमती प्रीतमकौर का स्वर्गवास हो गया है उसका कोई वारिस नही है। मूल अलॉटी सौदागर सिंह का भी स्वर्गवास हो गया है जिसके जायज व कानूनी वारिसान प्रतिवादीगण को जो कि उसके पौत्र है जिस कारण मौजूदा वाद में उनको पक्षकार बनाया गया है। सौदारगर सिंह का स्वर्गवास हो जाने के बाद उसके वारिसान ने आराजी मुतनाजा की कीमत व कर्जा आदि जमा कराकर खातेदारी प्राप्त कर ली है जिसका इंतकाल खातेदारी भी दर्ज व तस्दीक किया जाकर कागजात माल में प्रतिवादीगण का नाम बतौर खातेदार के दर्ज किया गया है। राजस्व अभिलेख व मिसल हकीयत सम्वत 2051 व उसके बाद की कायमशुदा जमाबन्दी में जो इन्द्राजात प्रतिवादीगण के नाम का बतौर खातेदार दर्ज किया गया है वो गलत तौर पर खिलाफ कानून व खिलाफ मौका व कब्जा किया गया है। क्योंकि आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण के दादा ने पूर्व में ही सन् 1976 में बेचान कर दी थी ओर कब्जा श्रीमती प्रतीमकौर को दे दिया था। श्रीमती प्रतीमकौर ने आराजी मुतनाजा को दिनांक 10.07.1978 को वादीगण के हक में विक्रय कर दिया। कब्जा आराजी मौके पर दे दिया। सन् 1976 से आराजी पर कभी भी प्रतिवादीगण का अथवा उनके दादा का कब्जा नही रहा बल्कि वक्त खरीद से यानि सन् 1978 से लगातार वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। चूंकि अब आराजी मुतनाजा के हकूक खातेदारी प्राप्त हो गये है जो हकूक स्वतः ही वादीगण में निहित हो गये। वादीगण आराजी मुतनाजा के काश्तकार खातेदार है व खातेदार घोषित किये जाने के योग्य है। वादीग्रस्त आराजी की जो इन्द्राजात कागजात माल में व मिसल हकीयत 2051 व उसके बाद की कायमशुदा जमाबन्दी आदि में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज किया गया है वो गलत है जिसको वादीगण कलमजन कराकर, अपने स्वयं के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कराने के योग्य है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त गलत

सहायक कलक्टर
अलवर

इन्द्राज को दुरूस्त कराने बाबत कई बार निवेदन किया। प्रतिवादीगण टाल बाल करते रहे ओर दिनांक 20.09.2010 को गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने से कतई इन्कार कर दिया और धमकी दी की वादीगण को बलपूर्वक बेदखल करेंगे व आराजी को जर्ये रहन बैय दान आदि के मुन्तकिल व मकफूल करेंगे। वादीगण को आराजी पर काश्त नही करने देंगे। यदि प्रतिवादीगण ने वादीगण को जबरन बेदखल कर दिया ओर वादग्रस्त आराजी को अन्य किसी को मुन्तकिल व मकफूल कर दिया तो वादीगण को नापूर्ति होने वाला नुकसान होगा। वादीगण बरबाद हो जायेंगे इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द कराने के अधिकारी है। मौजूदा वाद के लिए बिनायदावी व बिनायमुखासमत दिनांक 20.09.2010 को पैदा होती है जिस दिन प्रतिवादीगण ने इन्द्राज दुरूस्त करने से मना कर दिया व आराजी को बलपूर्वक कब्जा करने व बेदखल करने व अन्य लोगो को मुन्तकिल करने की धमकी दी। वादीगण साबिक आराजी खसरा नम्बर 778 रकबा 3 बीघा सालिम व 777/944 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा में से 18 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 1894 रकबा 0.17 है०, 1896 रकबा 0.22 है०, 1897 रकबा 0.01 है०, 1898 रकबा 0.35 है० सालिम व खसरा नम्बर 1895 रकबा 0.24 है०, 1899 रकबा 0.43 है० वाके ग्राम साहोडी तहसील व जिला अलवर कायम किया गया है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को उनके कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करने, आराजी किसी दीगर व्यक्ति को मुन्तकिल व मकफूल आदि ना करने बाबत पाबन्द करने तथा इन्द्राजात कागजात माल मिसल हकीयत 2051 व उसके बाद की कायमशुदा जमाबन्दी जिसमें प्रतिवादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया है को कलमजन किया जाकर वादीगण को काश्तकार खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 11.08.2015 को प्रतिवादी संख्या–2 के विरूद्ध एवं दिनांक 06.09.2017 को प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया। तहसीलदार अलवर से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में PW-1 राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व० गुरमेजसिंह एवं PW-2 लक्खा सिंह पुत्र गुरदत्त सिंह व PW-3 राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री बलवन्त सिंह के शपथ पत्र एवं सत्यप्रतिलिपि बैयनामा दिनांक 25.06.1976 प्रदर्श–1, बैयनामा दिनांक 10.07.1978 प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल 2051 प्रदर्श–3, जमाबन्दी दिनांक 30.06.2005 प्रदर्श–4, जमाबन्दी सम्वत 2029 प्रदर्श–5, जमाबन्दी सम्वत 2033 प्रदर्श–6, नामान्तकरण संख्या 119 प्रदर्श–7, नामान्तकरण संख्या 61 प्रदर्श–8, नामान्तकरण संख्या 170 प्रदर्श–9, मिलान

सहायक कलक्टर
अलवर

क्षेत्रफल 2051 प्रदर्श–10, मिसल हकीयत 2051 से 2070 प्रदर्श–11, जमाबन्दी सम्वत 2069–2074 प्रदर्श–12, जमाबन्दी सम्वत 2037–2040 प्रदर्श–13, जमाबन्दी सम्वत 2029 प्रदर्श–14 डाले गये।

वकील वादीगण की बहस सुनी। वकील वादीगण ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात यथा सत्यप्रतिलिपि बैयनामा दिनांक 25.06.1976 एवं 10.07.1978, जमाबन्दी दिनांक 30.06.2005 एवं जमाबन्दी सम्वत 2029, 2033, 2037–2040, 2069–2074, नामान्तकरण संख्या 61, 119 व 170, मिलान क्षेत्रफल 2051, मिसल हकीयत 2051 से 2070 एवं तहसीलदार मौका रिपोर्ट पर मनन किया। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार अलवर ने वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर हाल 1894, 1896, 1897, 1898, 1895 व 1899 जो सुर्ख पीले रंग से प्रदर्शित की गई है पर वादीगण इन्दरसिंह, राजेन्द्रसिंह, मक्खनसिंह पुत्रान व इन्द्रोकौर, मिन्दोकौर, राणोकौर, प्रकाशकौर पि० बलवन्तसिंह व लक्खा सिंह पुत्र गुरदत्त सिंह व हरमिन्दर कौर पत्नी व राजेन्द्रसिंह, हंसराजसिंह पुत्रान व बन्तोकौर, संदीपकौर व भजनोकौर पुत्रियान गुरमेजसिंह का कब्जाकाश्त होना बतलाया है। दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार अलवर के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 1894 रकबा 0.17 है०, 1896 रकबा 0.22 है०, 1897 रकबा 0.01 है०, 1898 रकबा 0.35 है० सालिम, व खसरा नम्बर 1895 रकबा 0.24 है०, 1899 रकबा 0.43 है० वाके ग्राम साहोडी में से 0.22 है० में प्रतिवादी संख्या 01 लगा० 03 का नाम कलमजन कर वादी संख्या 1/1 लगा० 1/7, वादी संख्या 2, वादी संख्या 3/1 लगा० 3/6 को काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार अलवर को अहकाम जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

संशोधित निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रेणू मीना)
सहायक कलक्टर
अलवर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति रेणू मीना RAS

उनवान

बलवन्त वगै० बनाम नत्था वगै०

दावा बाबत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
मुकदमा नम्बर :– 1/33/2022
संशोधित निर्णय दिनांक :– 18.04.2022

वादीगण की उपस्थिति में वाद में आज तारीख 18.04.2022 को अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 1894 रकबा 0.17 है०, 1896 रकबा 0.22 है०, 1897 रकबा 0.01 है०, 1898 रकबा 0.35 है० सालिम, व खसरा नम्बर 1895 रकबा 0.24 है०, 1899 रकबा 0.43 है० वाके ग्राम साहोडी में से 0.22 है० में प्रतिवादी संख्या 01 लगा० 03 का नाम कलमजन कर वादी संख्या 1/1 लगा० 1/7, वादी संख्या 2, वादी संख्या 3/1 लगा० 3/6 को काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तदानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रेणू मीना)
सहायक कलक्टर
अलवर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4........ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामील	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशित की तामील कमिश्नर की फीस	रूपया